राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम–राजस्थान)

क्रमांकःएफ.1(2)आरडी/नरेगा/मार्गदर्शिका/2010/पार्ट–II जयपुर, दिनांक 25 OCT 2010

: : आदेश : :

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः:एफ.1(2)आरडी/नरेगा/मार्गदर्शिका/2010/ पार्ट–II दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, महात्मा गांधी नरेगा का भी कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के निर्देशन में करेंगे। इस नवीन व्यवस्था अन्तर्गत पूर्व में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के अलावा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रमशः अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय के रूप में कार्य करेंगे।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम–2005 की धारा 14 के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है तथा उपरोक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। इनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को भी अधिनियम की धारा 14 (3) में उल्लेखित किया गया है। उक्त अधिनियम में जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिये निर्धारित जिम्मेदारियों के अध्यधीन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय के मध्य महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों का निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैः–

2.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक–प्रथम द्वारा महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित किये जाने वाले कार्यः–

2.1.1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थापना संबन्धी कार्य।

2..1.2 विभागीय निर्देशानुसार विभिन्न स्तरों पर निर्धारित मापदण्डानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करना, निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रबोधन करना तथा महात्मा गांधी नरेगा के सुचारू क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक कदम उठाना।

2.1.3 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील करना।

2.1.4 महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि कार्य का माप सही ढंग से हो जिससे कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत श्रमिकों को श्रमिक दर के अनुसार अधिकतम मजदूरी प्राप्त हो सके।

2.1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णताः प्रमाण पत्र का समयबद्ध रूप से तैयार करना।

2.1.6 महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।

2.1.7 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समस्त कार्यों की अधिनियम एवं विभागीय दिशा निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर पर आवश्यक स्वीकृति जारी करवाना।

2.1.8 महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिये सामग्री की आपूर्ति सुचारू रूप से विभिन्न स्तरों पर सुनिश्चित करवाना तथा इसमें आ रही कठिनाईयों का इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप निराकरण करना एवं पंचायत/पंचायत समिति तथा अन्ततः जिला स्तर पर

श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 बरकरार रखना एवं सामग्री मद में अनुमत 40 प्रतिशत का व्यय समग्र रूप से जिला स्तर पर निर्धारित रखना एवं इसमें किसी प्रकार से उल्लधंन नही होने देना।

2.1.9 8 फरवरी, 2010 को महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु गठित नरेगा स्थाई समिति की अक्षरशः कियान्विति सुनिश्चित करना।

2.1.10 महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के कियान्वयन से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवंटित किया गया हो।

2.2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्यक द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

2.2.1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के कम्प्यूटरीकरण से जुडे कार्य।

2.2.2 ई–मस्टररोल की कियान्विति सुनिश्चित करना।

2.2.3 एम.आई.एस. **(Management Information System)** में सूचनाओं को आदिनांक फीड करवाना तथा उसकी नियमित जांच कर उसमें आ रही समस्याओं का निराकरण करना तथा भारत सरकार की नरेगा वैबसाइट पर एम.आई.एस. अलर्ट (Alerts) को दूर करना।

2.2.4. विशेष अंकेक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण का समन्वित रूप से कियान्वयन करना एवं इसके दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, एफ.आई.आर. दर्ज करवाना, राशि की विधिवत वसूली करवाना तथा इससे जुडी अन्य आवश्यक कार्यवाही करवाना। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायतवार प्रत्येक छः माह में एक बार करवाये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा राज्य सरकार द्वारा इस संबन्ध में दिये निर्देशानुसार तैयार करवाना एवं इससे जुडी समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2.2.5. वार्षिक कार्य योजना तथा वार्षिक श्रम बजट को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ तैयार करवाना।

2.2.6. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकार, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु दिये गये प्रावधानों की कियान्विति सुनिश्चित करना।

2.2.7. लोकपाल के कार्यालय संबंधी विभिन्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।

2.2.8. राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अभाव अभियोग निराकरण नियम, 2010 की कियान्विति सुनिश्चित करना।

2.2.9 जिला स्तरीय "संवाद" राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुरूप आयोजित करवाना।

2.2.10 महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के कियान्वयन से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवंटित किया गया हो।

3. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उपरोक्तानुसार महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के विभाजन के अलावा आवश्यकतानुसार उपरोक्त दोनों अधिकारियों के मध्य अन्य कार्यो का विभाजन किया जा सकता है परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखना अतिआवश्यक है कि अधिकारियों को आवंटित किये जाने वाले कार्य सम्पूर्ण जिले के लिये ही आवंटित किये जायें न कि पंचायत समितिवार जिससे कि राज्य स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान में उपरोक्त अधिकारियों से उनको आवंटित कार्य के संबंध में जिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके एवं दोनों ही अधिकारियों को आवंटित कार्यों की प्रभावी रूप से समीक्षा की जा सकें। मुख्य एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, एवं द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपरोक्तानुसार आवंटित कार्यों से संबन्धित पत्रावलियॉ सीधे ही जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जायेंगी। उपरोक्त दोनों अधिकारीगण उनको आवंटित कार्यों के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होंगे परन्तु जिला कार्यक्रम समन्वयक भी महात्मा गांधी नरेगा

अधिनियम–2005 की धारा 14 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम के अवकाश पर रहने या मुख्यालय पर नहीं होने के दौरान उनको आवंटित कार्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय देखेंगे तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय के अवकाश पर रहने या मुख्यालय पर नहीं होने के दौरान उनको आवंटित कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम देखेंगे। इस प्रकार दोनों अधिकारी अपने समग्र उत्तरदायित्व को समझते हुए पूर्ण समन्वय स्थापित कर महात्मा गांधी नरेगा योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री जी राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।
4. विशिष्ठ सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास।
9. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
11. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
15. समस्त अधिकारीगण, ग्रामीण विकास विभाग।
16. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग।
17. समस्त विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा।
18. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, द्वितीय (ईजीएस)